न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 11 / 2020
दायर दिनांकः 04.08.2020
निर्णय दिनांक 23.02.2026

—: अनवान :—

श्री देवीलाल पिता श्री उदयराम जी जाट निवासी भोलीखेड़ा, तहसील आमेट जिला—राजसमंद (राज.)

— निगराकार

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत लिकी पंचायत समिति, आमेट
2. विष्णु पिता रामलाल जी ढोली आयु 35 वर्ष निवासी मोलीखेड़ा, तहसील आमेट जिला—राजसमंद
3. श्रीमती कमला पत्नि भरत कुमार जी सरगडा आयु 35 वर्ष निवासी आमेट, तहसील—आमेट जिला—राजसमंद (राज.)

— गैर निगराकारगण

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लिकी, पंचायत समिति आमेट, पट्टा संख्या 09 दिनांक 02.09.2019

उपस्थित :—

1. श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, शम्भुलाल यादव, अधिवक्ता प्रार्थी / निगराकार
2. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
3. अप्रार्थी संख्या 01 व 03 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लिकी, पंचायत समिति आमेट, पट्टा संख्या 09 दिनांक 02.09.2019 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी निगरानीकार गांव भोलीखेड़ा, ग्राम पंचायत लिकी तहसील आमेट का रहने वाला है। प्रार्थी के बाप दादाओं के समय की 100 वर्षो से भी अधिक समय की कब्जे शुदा भूमि, मकान चौक भूखण्ड गांव भोलीखेड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

में स्थित है। गांव भोलीखेड़ा में स्वर्गीय प्रताप जी प्रार्थी के परिवार के मूल पुरुष थे, जिनका वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :–

प्रताप जी

जालु (फौत)	उदयराम पुत्र देवीलाल प्रार्थी	चतरभुज (लाऔलाद फौत) विवाह नहीं किया।

स्वर्गीय प्रताप जी के तीन पुत्र हुए सबसे बड़े जालु जी थे, दूसरे नंबर के पुत्र उदयराम जी प्रार्थी के पिता एवं तीसरे पुत्र चतरभुज थे, तीनों का निधन हो गया, जालु जी व उनकी पत्नि फौत हो गये, उदयराम जी के एकमात्र पुत्र प्रार्थी देवीलाल है, देवीलाल जी की माता का निधन हो गया है, चतरभुज कुंवारे ही मर गये, कुल मिलाकर प्रार्थी एकमात्र प्रताप जी के वंश का उत्तराधिकारी रहा है। ग्राम पंचायत भोलीखेड़ा द्वारा दुर्भावना पूर्वक बिना जांच पड़ताल किये एवं मौके की स्थिति का अवलोकन किये, नाजायज लाभ व कृत्य के द्वारा पट्टा संख्या 9 दिनांक 02.09.2019 को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में बना दिया। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जिस स्थान का पट्टा बनाया है, वह कुलिया प्रार्थी के कब्जेशुदा कच्चे घर एवं उसके बाड़े की भूमि एवं अन्य व्यक्ति की भूमि को शामिल करते हुए बनाया है, जो मौके की स्थिति के विपरित है ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 157 के अन्तर्गत आबादी क्षेत्र का 1286 का जारी करा दिया है, जो पडौस बताऐ है, उसमें प्रार्थी के हक की भूमि में पट्टा बनाया है, जो काबिल खारिज है। स्वयं रामलाल गांव में ढोल बजाने का काम करता था, और 20 वर्ष से भोलीखेड़ा में आया था, उसे प्रार्थी के परिवार वालों ने आश्रय दिया था। पुस्तैनी भूमि रामलाल की कभी नहीं रही, पंचायत के तत्कालिन सरपंच व सचिव ने विधि विरुद्ध कृत्य किया है। रामलाल आमेट का निवासी था। रामलाल का दत्तक पुत्र बताकर फर्जी रूप से बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाए प्रार्थी के हक की भूमि का पट्टा देने का विपक्षी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 ने फर्जी हक बताकर पट्टा प्राप्त किया है, और पट्टा मिलने पर तुरन्त पंजीयन पंचायत से करवाने के बाद प्लॉट का विपक्षी संख्या 3 को विक्रय कर दिया, जबकि विपक्षी संख्या 1,2,3 का कृत्य विधि विरुद्ध है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 9 खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण / गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 01 से 03 के बावजूद सूचना के लगातार नियत पेशी पर अनुपरस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत लिकी से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता प्रार्थी की लिखित बहस में निवेदन किया कि ग्राम भोलीखेड़ा, ग्राम पंचायत लिकी, तहसील आमेट का रहने वाला होकर प्रार्थी के बाप–दादाओं के समय की 100 वर्षों से भी अधिक कब्जेशुदा भूमि, मकान, चौक, भूखण्ड ग्राम मोलीखेड़ा में स्थित हैं। लिकी खेड़ा में स्वर्गीय प्रताप जी निगराकार के परिवार के मूल पुरूष थे जिनकी 3 सन्तानें थी, सबसे बड़े पुत्र जालू जी थे, दूसरे पुत्र उदयराम जी थे जो प्रार्थी के पिता हैं और तीसरें पुत्र चर्तुर्भुज जी थे। तीनों का निधन हो गया हैं सबसे बड़े पुत्र जालू व उनकी पत्नी ला–औलाद फौत हो गये उदयराम जी के एकमात्र पुत्र प्रार्थी देवीलाल हैं, देवीलाल जी की माता का निधन हो गया, तीसरें पुत्र चर्तुर्भुज कुंवारे ही मर गये हैं कुल मिलाकर प्रार्थी एकमात्र प्रताप जी के वंश का उत्तराधिकारी रहा है। विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत लिकी द्वारा दुर्भावनापूर्वक बिना जाँच पड़ताल किये एंव मौके की स्थिति का अवलोकन किये बगैर नाजायज लाभ व कृत्य के द्वारा पट्टा संख्या 09 दिनांक 02.09.2019 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में मिलीभगत करके बना दिया। विपक्षी संख्या एक ने विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जिस स्थान का पट्टा बनाया है वह कुलिया पट्टा प्रार्थी के कब्जेशुदा कच्चें घर एंव उसके बाड़े की भूमि एंव अन्य व्यक्ति की भूमि को शामिल करके बनाया हुआ है जो मौके की स्थिति से बिलकुल विपरित हैं। विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत लिकी ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 157 के अन्तर्गत आबादी क्षेत्र का 1286 वर्गफीट का पट्टा जारी करा दिया हैं, जो पड़ोस बतायें हैं उनमें प्रार्थी की हक की भूमि में पट्टा बनाया हैं जो काबिले खारीज हैं और मौका स्थिति से विपरित हैं। रामलाल गांव लिकी में ढोली था जो ढोल बजानें का काम करता था और उसे प्रार्थी के परिवार वालों ने आश्रय दिया था इससे पुश्तैनी भूमि रामलाल की कभी हुई ही नहीं पंचायत के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने विधि विरूद्ध कृत्य करकें पट्टा बनाया जो काबिले खारिज हैं। विपक्षी संख्या दो की अगर खुद की पुश्तैनी जमीन होती और वो उसे अपना बताता तो उसे विपक्षी संख्या तीन को पट्टा बनने के तुरन्त बाद विक्रय क्यों करता यह सब पैसे कमानें का जरीया बनाया हैं। अतः निवेदन हैं कि निगरानिकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 09 खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी की लिखित बहस में निवेदन किया कि निगराकार द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी किये गये पट्टे के संबध में यह निगरानी याचिका पेश की है। ग्राम पंचायत लिकी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐ अप्रार्थी संख्या दो का आबादी भुमि पर कब्जा आधिपत्य होने से यह पट्टा जारी किया है। जिसमें निगराकार का कोई हक अधिकार हित निहित नहीं है न ही कब्जा आधिपत्य है। उक्त पट्टा ग्राम भोलीखेडा में स्थित आबादी भुमि में जारी किया गया है। आबादी भुमि में अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा आधिपत्य होने से यह पट्टा जारी हुआ है तथा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पट्टा जारी होने के पश्चात् इसका विधिवत पंजीयन उप पंजियक आमेट द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो जाति से ढोली होकर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। बी पी एल परिवार है और उसकी यही स्थिति देखते हुऐ ग्राम पंचायत ने उसके कब्जे आधिपत्य की भुमि का पट्टा जारी किया गया है जो रियायती दर पर जारी किया गया है। उक्त पट्टेशुदा भुमि के पास में निगराकार का मकान है। इसी उद्येश्य से निगराकार ने यह याचिका पेश की है ताकि इस याचिका के दबाव में यह सम्पत्ति निगराकार प्राप्त कर सके। अप्रार्थी ने निगराकार की सम्पत्ति पर न तो कभी कब्जा आधिपत्य किया है न ही उसके कब्जेशुदा भुमि/मकान का पट्टा जारी कराया है। निगराकार की इस भुमि पर कोई कब्जा आधिपत्य नहीं है। यह बात सही हैं कि अप्रार्थी के पिता रामलाल ढोल बजाने का कार्य करते थे और वही कार्य अप्रार्थी द्वारा भी किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या दो ने कोई फर्जीवाडा नहीं किया है बल्कि वैद्य रूप से अपने पूर्वाधिकारी की भुमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है और काबिज होने से ही पट्टा जारी किया गया है। और ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है उसका विधिवत पंजियन आमेट द्वारा किया गया है। पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किया गया विक्रयपत्र भी वैद्य एवं सही है। प्रार्थी निगराकार ने विकय पत्र को प्रश्नचिन्ह नहीं किया है न ही विकय पत्र को निरस्त कराने का कोई अनुतोष चाहा है। वैसे भी पंजीकृत विकय विलेख को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति हैं कि पंजीकृत पट्टे के आधार पर पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित व पंजिकृत हुआ है और उस विकय पत्र को भी चुनौती नहीं दी है ऐसी स्थिति में विकय पत्र को चुनौती दिये बगैर प्रस्तुत निगरानी याचिका इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा सभी औपचारिकताओ को पूरी करने के पश्चात् और विधिवत कार्यवाही करते हुऐ ही पट्टा जारी किया है एवं उसका पंजियन करवाया है। प्रार्थी जब तक विपक्षी संख्या द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा देता है किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की लिखित बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत लिकी द्वारा अप्रार्थी श्री रामलाल ढोली के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 02.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में स्वयं अप्रार्थी संख्या 02 श्री विष्णु लाल पिता श्री रामलाल ने भूखंड श्रीमती कमला पत्नी भरत कुमार को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के विक्रय कर दिया था तथा यह विक्रय दिनांक 18.12.2019 को किया गया और भूखंड का पट्टा प्राप्त करने का दिनांक 02.09.2019 है। अर्थात इस भूखंड का पट्टा प्राप्त करने के तीन माह पश्चात जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र यह भूखंड दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाना अपने आप में भी एक संशय पैदा करता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

साथ ही इस पंजीकृत विक्रय पत्र में स्वयं श्री विष्णु लाल ने यह अंकित किया है कि यह पट्टा खाली भूखंड का लिया गया है, किसी मकान का नहीं लिया गया है तथा उसे वे 2,00,000/— रूपये में बेच रहे हैं। और यह जो विवादित पट्टा है जो कि ग्राम पंचायत लिकी द्वारा जारी किया गया है, उसको देखने पर स्पष्ट जाहिर हुआ है कि वह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 157(1) के तहत पुश्तैनी मकानों का पट्टा कब्जाधारियों के हित में जारी किए जाने का प्रावधान करता है, जबकि यहाँ पर जो पट्टा दिया गया है वह पट्टा पुश्तैनी मकान का न होकर एक खाली भूखंड का है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवेदन पत्र पर कोई दिनांक अंकित नहीं है, साथ ही जो सत्यापन किया गया उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। आपत्ति आमंत्रित की गई है, नजरी नक्शा लगाया गया है, निरीक्षण प्रपत्र है, उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। निर्णय यहाँ तक कि जो प्रार्थी ने इसमें शपथ पत्र पेश किया है वह भी अधूरा है जिस पर कोई गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं जिन्होंने शपथ पत्र पर इसको सत्यापित किया है। इस तरह से प्रक्रियात्मक त्रुटियां तो की ही हैं, पर प्रक्रियात्मक त्रुटियों के अलावा एक मूलभूत अनियमितता यह है कि जिस नियम के तहत यह पट्टा जारी किया गया है उस नियम के तहत खाली भूखंड का पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय/ग्राम पंचायत लिकी द्वारा जारी पट्टा क्रमांक व दिनांक एतद द्वारा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम पंचायत लिकी द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 02.09.2019 को निरस्त किया जाता है।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)